अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार

मेरिट-कम-मीन्स (टॉप क्लास)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मेघा-सह-आय आधारित छात्रवृत्ति योजना हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राँए वेबसाईट www.scholarships.gov.in एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वेबसाईट National Scholarships Portal से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं । छात्रवृत्ति प्राप्त करने की विहित शर्तें इस वेबसाईट के होम पेज पर देखा जा सकता है ।

छात्र/छात्राओं हेतु महत्वपूर्ण जानकारियाँ

- यह छात्रवृत्ति सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों में अध्ययनरत **बिहार राज्य के निवासी विद्यार्थियों** के लिए है ।
- विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावक का वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नही होना चाहिए ।
- **ऑनलाईन आदेवन पत्र (नवीन) में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में किसी वर्ष में अध्यनरत छात्र/छात्रा के लिए +2, इन्टर अथवा डिप्लोमा के परीक्षा में प्राप्त अंक भरा जाएगा । इसी प्रकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किसी वर्ष में अध्ययनरत छात्र/छात्रा के लिए स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंक भरा जाएगा । अर्थात विगत फाइनल परीक्षा का अंक प्रतिशत भरेंगे ।**
- नवीकरण आवेदन भरने वाले छात्र विगत वर्ष की परीक्षा का अंक प्रतिशत भरेंगे ।
- मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों में तकनीकी/ व्यावसायिक (Technical/ Professional) पाठ्यक्रम में अध्ययनतर वैसे छात्र जिनका प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हुआ है, वे इस छात्रवृत्ति के पात्र है । वैसे छात्र जिनका नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ है परन्तु उन्हें विगत कोर्स में कम-से-कम 50% अंक प्राप्त हो, वे भी इस छात्रवृत्ति योजना के पात्र होंगे ।
- इस छात्रवृति को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे ।
- एक परिवार में दो सदस्यों से अधिक को यह छात्रवृति नहीं दी जायगी ।
- नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की समय-सीमा **01 जुन 2017 से 31 अगस्त 2017** के मध्य रात्रि तक निर्धारित है ।
- नवीकरण (Renewal) छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की समय-सीमा **01 जुन 2017 से 31 जुलाई 2017** के मध्य रात्रि तक निर्धारित है ।
- मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति का दावा 50,000/- (पचास हजार) तक होने पर कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किया जाना है । आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन की हार्डकॉपी सभी अनुलग्नकों सहित अपने शिक्षण संस्थान में जमा करेंगे एवं जिन अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का दावा 50,000/- (पचास हजार) से अधिक है वे आवश्यक सभी दस्तावेज वेबसाईट पर अपलोड करेंगे ।

क०पृ०उ०....

- ऑनलाईन आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा का आधार नम्बर होना आवश्यक है एवं बैंक खाता आधार सीडेड होना आवश्यक है । यदि आधार कार्ड निर्गत नहीं हुआ हो तो Enrollment No की छायाप्रति या आधार निर्गत करने के संबंध में अनुरोध पत्र की छायाप्रति मान्य होगा । यदि Enrollment No या आधार नम्बर निर्गत करने से संबंधित अनुरोध पत्र उपलब्ध नहीं है तो निम्नांकित पहचान-पत्र मान्य होंगे । 1. बैंक पासबुक का छायाप्रति । 2 राशन कार्ड का छायाप्रति ।
  3. पैन कार्ड का छायाप्रति । 4. पासपोर्ट का छायाप्रति । 4. ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति ।
  5. Certificate of Identity having Photo of such student issued by a Headmaster/Principal with offical seal.
  7. Any other documents specified by the State Government or Union Territory Administration.
- यह लक्ष्य आधारित योजना है । लक्ष्य के अनुरूप नवीन छात्रों का चयन छात्रवृत्ति हेतु किया जायेगा ।
- बिहार राज्य का लक्ष्य 4278 (नवीन) निर्धारित है ।
- नवीनकरण छात्रों हेतु कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं है ।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छात्रवृति की राशि DBT के माध्यम से सीधे छात्र के बैंक खाता में भेजी जाएगी ।
- **छात्र/छात्राओं के द्वारा ऑनलाईन के समय बैंक खाता संख्या (Bank Account No.) या IFSC Code में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर अभ्यार्थी के स्वीकृत छात्रवृत्ति को Reject किया जा सकता है ।**
- सभी स्कूल/संस्थान के द्वारा ऑनलाईन आवेदन को सत्यापित कर ऑनलाईन अग्रसारित करना अनिवार्य है ।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में NSP 2 द्वारा भेजा गया Login ID एवं Password संबंधित स्कूल/संस्थान के लिए मान्य होगा ।
- जिन नवीन/नवीकरण छात्रों का मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 2016-17 में ऑनलाईन आवेदन स्वीकृत है परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि के कारण छात्रवृत्ति की राशि अंतरित की जाने की प्रक्रिया में है वे छात्र 2017-18 में नवीकरण ऑनलाईन आवेदन करेंगे ।

<u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज/प्रमाण पत्रः-</u>

- Institution Verification Form
- Family annual Income Certificate issued by the authority designated by the State Government/UT Administration (as per the scheme requirement)
- Photocopy of last Passed Board Examination for fresh application
- Fee Receipt / Fee Structure of Current Course Year
- Photocopy of Student's Aadhar Seaded Bank Account Pass Book
- Photo copy of Aadhar Card
- Photocopy of Last Year Exam Marksheet only for Renewal Application
- Photocopy of Residential Certificate
- A valid Mobile Number
- An Email Id
- Community Certificate: Self Certificated/Self Decelared
- Domicile/Residential Certificate